

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-०६/निदे०(DA-JGUA)-38-02/2025-124

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा०प्र०से०

निदेशक

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,

जमुई/कैमूर/प० चम्पारण।

पटना, दिनांक-21/08/2026

विषय— वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के तहत Tribal Multi-Purpose Marketing Centre (TMMC) के निर्माण हेतु ₹210.00 लाख (दो करोड़ दस लाख रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) अंतर्गत 03 इकाई Tribal Multi-Purpose Marketing Centre (TMMC) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत्यादेश संख्या-105, दिनांक-13.08.2026 के द्वारा स्वीकृत ₹210.00 लाख (दो करोड़ दस लाख रु०) की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-11015/04/2024-PVTG दिनांक-12.09.2025, पत्रांक-11015/03/2025-DA-JGUA दिनांक-27.01.2025 एवं पत्रांक-11015/07/2026-DA-JGUA, दिनांक-13.05.2026 के आलोक में स्वीकृत क्रियाकलाप/गतिविधियों पर राशि व्यय की जाएगी।

3. वित्तीय वर्ष 2026-27 में माँग सं०-44 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-102-आर्थिक विकास-उपशीर्ष-0203-धरती आबा जनजातीय अभियान (डीएजेजीयूए)-2701-लघु कार्य विपत्र कोड-44-2225.02.102.0203 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संबंधित जिलों में भवन प्रमंडल- जमुई, भवन प्रमंडल- कैमूर तथा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO), प० चम्पारण कार्य करेंगी।

6. राशि का समूचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं वो राशि के व्यय के पश्चात व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7. वित्त विभाग के पत्र संख्या-5292, दिनांक-09.05.2025 के आलोक में स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन एवं व्यय की कार्रवाई CFMS 2.0 के SNA SPARSH Module के माध्यम से किया जाएगा।

8. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-105, दिनांक-13.08.2026 के द्वारा उक्त राशि की स्वीकृति दी गई है।

9. कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।
अनु०-यथो०।

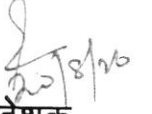
विश्वासभाजन


निदेशक

ज्ञापांक-6/निदे०-DA-JGUA-38-02/2025- 124

पटना दिनांक- 21/08/2026

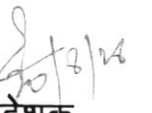
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन/जिला कोषागार पदाधिकारी, जमुई/कैमूर/पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक-6/निदे०- DA-JGUA-38-02/2025- 124

पटना दिनांक- 21/08/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/अपर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जमुई/कैमूर/पश्चिम चम्पारण/उप सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/प्रमंडलीय उप निदेशक (कल्याण), मुंगेर/पटना/तिरहुत प्रमंडल, प्रभारी पदा०, बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदा०, 8डी०/सांख्यिकी शाखा/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

Annexure

Grants-in-aid (CCA & General) under Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan (DA-GJUA) during the Year 2026-27 :-

(Rs. in lakh)

Sl. No.	District	Activity	Location	Subject Budget Code	Alloted Amount
1	2	3	5	6	7
2	Jamui/ West Champaran/ Kaimur	Tribal Multi-purpose Marketing Centre (TMMC)	Najari, Laxmipur, Jamui/ Gaunaha, West Champaran/ Aadhaura, Kaimur	2701	210.00 (70.00 Lakh Per TMMC)
Total-					210.00

(Two Crore Ten lakh Only)

ज्ञापांक- 124

पटना, दिनांक-21/08/2026 का अनु०।


निदेशक